अनुदान संख्या 101 - महिला और बाल विकास मंत्रालय
GRANT No. 101 - MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	26588,81,00		26588,85,00	250229617	-1565,88,83
पूरक	Supplementary	4,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1565,88,81
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3,38,00		7,58,00	6,51,62	-1,06,38
पूरक	Supplementary	4,20,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,06,38

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएँ	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	8041.00	7105.22	7105.22	..
पु.	R.	-935.78			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	127810.00			
पू.	S.	1.00	89680.64	89680.64	..
पु.	R.	-38130.36			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	273390.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-273391.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2166804.00			
पू.	S.	1.00	2308466.20	2308466.19	-0.01
पु.	R.	141661.20			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants -in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	82836.00			
पू.	S.	1.00	97044.13	97044.12	-0.01
पु.	R.	14207.13			

(I) ₹273952.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹273368.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – यूनिसेफ को अंशदान" – ₹560.00 लाख यूनिसेफ की देश कार्यक्रम कार्य योजना (सीपीएपी) को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "समाज कल्याण – बाल कल्याण" –

(i) "मिशन वात्सल्य" – ₹13880.00 लाख;

(ii) "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं – पोषण अभियान – किशोरियों के लिए योजना)" – ₹148848.00 लाख;

(ख) "समाज कल्याण – महिला कल्याण – मिशन शक्ति" – ₹27312.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– समाज कल्याण – बाल कल्याण" – ₹29161.00 लाख; और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – समाज कल्याण– बाल कल्याण" – ₹53607.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि के अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय" के अंतर्गत ₹935.78 लाख की बचत (₹8041.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण

(I) Provision of ₹273952.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2024) remained wholly unutilised under nine heads of these ₹273368.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" "Social Welfare - International Co-operation - Contribution to UNICEF" - ₹560.00 lakhs - due to non-finalisation of Country Program Action Plan (CPAP) of UNICEF.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Social Welfare - Child Welfare"-

(i) "Mission Vatsalya" - ₹13880.00 lakhs;

(ii) "Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)" - ₹148848.00 lakhs;

(b) "Social Welfare - Women's Welfare - Mission Shakti" - ₹27312.00 lakhs;

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Welfare - Child Welfare" - ₹29161.00 lakhs; and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Social Welfare- Child Welfare" - ₹53607.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - Secretariat - Ministry of Women and Child Development" - saving of ₹935.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8041.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant

पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "बाल कल्याण" –

(क) "राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी)" – ₹995.48 लाख की बचत (₹7187.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जांच कार्यवाही पूरी न होने तथा जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की वजह से पेंशन न मिलने के कारण हुई।

(ख) "मिशन वात्सल्य" – ₹10398.95 लाख की बचत (₹13969.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण के प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं – पोषण अभियान – किशोरियों के लिए योजना)" – ₹14663.94 लाख की बचत (₹30936.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम विज्ञापन कार्यक्रम शुरू करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "महिला कल्याण – मिशन शक्ति" – ₹14633.50 लाख की बचत (₹17297.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ संघ राज्य क्षेत्रों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण के प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

posts and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Child Welfare" -

(a) "National Institute of Public Cooperation & Child Development (NIPCCD)" - saving of ₹995.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7187.00 lakhs) was due to non-completion of inquiry proceedings and pensions thereof owing to non-receipt of life certificate.

(b) "Mission Vatsalya" - saving of ₹10398.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13969.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from UTs without legislature and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)" - saving of ₹14663.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30936.00 lakhs) was due to less advertisements programme launched and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Women's Welfare - Mission Shakti" - saving of ₹14633.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17297.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from UTs without legislature and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा – मिशन शक्ति" – ₹71633.92 लाख की बचत (₹217127.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति और एसएनए खाते में अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(A) "Central Assistance/Share - Mission Shakti" - saving of ₹71633.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹217127.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from States and availability of unspent balances in SNA account.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मिशन शक्ति" – ₹10256.81 लाख की बचत (₹25442.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने और राज्यों द्वारा एसएनए मानदंडों का अनुपालन न करने के कारण हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Mission Shakti" - saving of ₹10256.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25442.00 lakhs) was due to non-receipt of proposal from States and non-compliance of SNA norms by the States.

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "मिशन शक्ति" – ₹2401.31 लाख की बचत (₹10210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) "मिशन वात्सल्य" – ₹1875.34 लाख की बचत (₹7529.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Mission Shakti" - saving of ₹2401.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10210.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(b) "Mission Vatsalya" - saving of ₹1875.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7529.00 lakhs); and

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं – पोषण अभियान – किशोरियों के लिए योजना)" – ₹505.50 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1846.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)" - saving of ₹505.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1846.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत, संघ राज्य क्षेत्रों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals from Union Territories.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹387.82 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत है।

(VI) Under one head saving of ₹387.82 lakhs occurred constituting 43 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹206989.41 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ" –

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं – पोषण अभियान – किशोरियों के लिए योजना)" – ₹154818.58 लाख।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं – पोषण अभियान – किशोरियों के लिए योजना)" – ₹32724.57 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं – पोषण अभियान – किशोरियों के लिए योजना)" – ₹19446.26 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – बाल कल्याण – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹3049.13 लाख का अधिक व्यय (₹4279.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएसडब्ल्यूबी भवन के निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अधिगृहीत कार्यालय स्थान के लिए एनडीएमसी को किराए के बकाया का भुगतान, राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में मुख्यालय भवन की संरचनात्मक मरम्मत और रखरखाव और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष में किए जाने के कारण हुआ।

2.(I) The above savings were partly (₹206989.41 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2024 under the following major heads: -

(A) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share - Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)" - ₹154818.58 lakhs.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)" - ₹32724.57 lakhs.

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)" - ₹19446.26 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare - Child Welfare - Support to Autonomous Bodies" - excess of ₹3049.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4279.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction activities to CSWB building, payment of arrears of rent to NDMC for office space occupied by National Commission for Protection of Child Rights, structural repairs and maintenance of headquarters building at National Institute of Public Cooperation and Child Development and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजना" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – मिशन वात्सल्य" – ₹19490.58 लाख का अधिक व्यय (₹111839.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने, गैर–संस्थागत देखभाल के लिए बच्चों की संख्या में वृद्धि, अधिक कार्मिकों की भर्ती और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं – पोषण अभियान – किशोरियों के लिए योजना)" – ₹15234.20 लाख का अधिक व्यय (₹457485.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – मिशन शक्ति" – ₹1283.99 लाख का अधिक व्यय (₹12734.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹106.38 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹420.00 लाख के पूरक अनुदान का 25 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Scheme" -

(a) "Central Assistance/Share - Mission Vatsalya" - excess of ₹19490.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111839.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North eastern Region and Sikkim, increase in number of Children for non-institutional care, hiring of more manpower and requirement of additional funds towards various activities by States/UTs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)" - excess of ₹15234.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹457485.80 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Mission Shakti" - excess of ₹1283.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12734.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹106.38 lakhs) constituted 25 percent of the supplementary grant of ₹420.00 lakhs obtained in December, 2024 and 14 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4250"	Major Head "4250"				
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other Social Services				
मू.	O.	338.00			
पू.	S.	420.00	651.62	651.62	..
पु.	R.	-106.38			

(I) "निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय" के अंतर्गत ₹338.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹420.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹758.00 लाख तक बढ़ाया गया, तथापि, जो प्रशासनिक देरी की वजह से बोली प्रक्रिया पूरी होने में देरी के कारण ₹106.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(I) Under "Direction and Administration - Secretariat" - the original provision of ₹338.00 lakhs was augmented to ₹758.00 lakhs by obtaining supplementary grant of 420.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹106.38 lakhs - due to delay in completion of bidding process owing to administrative delay.